

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

गुरुवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 (भाद्र 15, 1940)

निर्वाचन क्षेत्र क्र.38-देवरी से निर्वाचित सदस्य, श्री हर्ष यादव को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

कार्यपालिक प्राधिकारी, देवरी जिला-सागर की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय को संबोधित पत्र दिनांक 29.08.2018, जो इस सचिवालय में दिनांक 05.09.2018 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

“ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107, 116 (3) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री हर्ष यादव को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी कर निरुद्ध कर लिया जाये.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री हर्ष यादव को दिनांक 29.08.2018 को 12.30 बजे बंदी कर उन्हें तीतरपानी तहसील देवरी की अस्थायी जेल रेस्टहाऊस में रखा गया और उसी दिन 18.00 बजे रिहा किया गया. ”

पी.एन. विश्वकर्मा
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.